# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 86/2024

**वादी :–**

1. सुमन ओ पी पुत्री स्व. ओमप्रकाश
2. सुमेर सीरवी ओ पी पुत्र स्व. ओमप्रकाश जातियान सीरवी निवासीगण बर्फो का बास ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हालमुकाम बैंगलोर कर्नाटका

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :–**

1. दुर्गाराम पुत्र स्व. रामाराम जाति सीरवी निवासी बर्फो का बास ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**उपस्थितिः**–वादीगण – श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पेरोकार।

**निर्णय** दिनांकः–16/06/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त पते पर निवास करते है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का धर्म हिन्दू है राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4347 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 4350 रकबा 0.631 01 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 756/3 रकबा 0.9951 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 783/1रकबा 1.2944 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 852 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.1260 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या 465 चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार है तथा चालु जमाबन्दी में उपरोक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरान की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदो में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से संबोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5381 रकबा 1.5533 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 5383 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 5384 रकबा 0.2993 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा संख्या 5386 रकबा 0.6553 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 5387 रकबा 1.4319 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.0207 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या 464 चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार है तथा चालु जमाबन्दी में उपरोक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त खसरान की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदो में वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश से संबोधित किया जायेगा। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वंशावली वृक्ष वादपत्र के चैरा सं. 4 के अनुसार है। उपरोक्त वंशावली वृक्ष के अनुसार जोगाराम वादीगण के लडदादा व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा थे, जो फौत हो चुके है। जोगाराम के वारिस/पुत्र रामाराम, खेताराम, केसाराम, धीसाराम, दीपाराम व मिश्रीलाल थे। जो सभी फौत हो चुके है। स्व. जोगाराम के पुत्र खेताराम,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

केसाराम, घीसाराम, दीपाराम व मिश्रीलाल के वारिसान वादग्रस्त कृषि भूमि बी की चालु जमाबन्दी में दर्ज अनुसार है तथा स्व. जोगाराम के पुत्र रामाराम के वारिस उनकी पत्नी दाखूडी व पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 दुर्गाराम है तथा दाखूड़ी का स्वर्गवास हो चुका है। स्व. रामाराम वादीगण के पड़दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता थे। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के दादा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस/पुत्र ओमप्रकाश, तेजाराम व पुत्री सरोज है। ओमप्रकाश वादीगण के पिता थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा वादीगण ओमप्रकाश के पुत्र व पुत्री है। वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा संख्या 1594 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा व खसरा संख्या 1067 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम भावी सीरवीबास पूर्व में वादीगण के लडदादा व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा जोगाराम पुत्र केनाराम के नाम दर्ज थी। जोगाराम फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा संख्या 1594, 1067 जोगाराम के वंशावली वृक्ष में वर्णितानुसार उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई तथा जोगाराम के पुत्रों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने पर वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा संख्या 1594, 1067 वादीगण के पड़दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामाराम के नाम दर्ज हुई। रामाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 790 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा संख्या 1594, 1067 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा संख्या 1594, 1067 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी, संयुक्त कब्जा काश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है तथा वादीगण स्व. जोगाराम के लडपौत्र व स्व. रामाराम के पडपौत्र व प्रतिवादी संख्या 1 के पौत्र होने से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण का भी वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा संख्या 1594, 1067 में वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 दुर्गाराम के बराबर-बराबर हक व अधिकार है यानि वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा संख्या 1594, 1067 में वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, तेजाराम पुत्र दुर्गाराम का 1/4 हिस्सा व सरोज पुत्री दुर्गाराम का 1/4 हिस्सा हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना निहित 1/4 हिस्सा से अधिक भूमि यानि खसरा संख्या 1594 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा व खसरा संख्या 1067 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण बैचान कर दी है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त कृषि भूमि ए में उक्त बैचान के बाद कानूनन कोई हक व अधिकार नही बनता है। वादग्रस्त कृषि भूमि ए में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र तेजाराम व पुत्री सरोज का ही बराबर-बराबर हक व अधिकार बनता है, यानि वादग्रस्त कृषि भूमि ए में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र तेजाराम का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री सरोज का 1/3 हिस्सा निहित व बनता है। वादग्रस्त कृषि भूमि ए राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि ए में निहित 1/3 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने मना कर दिया। जबकि वादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि ए में निहित 1/3 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार अधिकारी है। इस कारण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि ए में से वादीगण के निहित 1/3 हिस्से के सम्बंध में वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी की घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि बी पूर्व में वादीगण के लडदादा व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा जोगाराम पुत्र केनाराम के नाम दर्ज थी। जोगाराम व उनके पुत्र रामाराम फौत होने पर जरिये

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 962 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि बी जोगाराम के वंशावली वृक्ष में वर्णितानुसार उनके पुत्रों व रामाराम के वारिस पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 दुर्गाराम व पत्नी दाखूड़ी के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार जोगाराम व उनके पुत्र रामाराम व रामाराम की पत्नी दाखूड़ी फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि बी में 1/6 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। जो वर्तमान में भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि बी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्से की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है तथा वादीगण स्व. जोगाराम के लडपौत्र व स्व. रामाराम के पडपौत्र व प्रतिवादी संख्या 1 के पौत्र होने से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण का भी वादग्रस्त कृषि भूमि बी में वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 दुर्गाराम के बराबर-बराबर हक व अधिकार है यानि वादग्रस्त कृषि भूमि बी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में से वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, तेजाराम पुत्र दुर्गाराम का 1/4 हिस्सा व सरोज पुत्री दुर्गाराम का 1/4 हिस्सा हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार बनता है तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि बी में वादीगण का 1/24 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, तेजाराम पुत्र दुर्गाराम का 1/24 हिस्सा व सरोज पुत्री दुर्गाराम का 1/24 हिस्सा हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार बनता है। वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/6 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि बी में निहित 1/24 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने मना कर दिया। जबकि वादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि बी में निहित 1/24 वां हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार अधिकारी है। इस कारण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से वादीगण के निहित 1/24 वां हिस्से के सम्बंध में वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी की घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि ए सम्पूर्ण व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/6 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि ए सम्पूर्ण व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/6 वां हिस्सा को दिनांक 17.07.2024 को बैचान किये जाने हेतु अजनबी क्रेतागण को वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी का मौका दिखाने हेतु मौके पर लेकर आये, जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण मौके पर गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण द्वारा समझाईश की तथा वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बताया कि वादग्रस्त कृषि भूमि ए व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्सा की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि ए में वादीगण का 1/3 हिस्सा व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में वादीगण का 1/24 वां हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित व बनता है। इसलिए वादीगण की सहमति के बिना प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि ए व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/6 वां हिस्सा को बैचान नही कर सकते है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की समझाईश से नही माने तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को इस आशय की धमकी दी कि वो वादग्रस्त कृषि भूमि ए सम्पूर्ण व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/6 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उनके नाम दर्ज होने के आधार पर आगे बैचान, हस्तान्तरण करके रहेंगे। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को बिना वादीगण की सहमति के वादग्रस्त कृषि भूमि ए सम्पूर्ण व

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/6 वां हिस्सा में वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्से को कानूनन वैचान करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वो वादग्रस्त कृषि भूमि ए सम्पूर्ण व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/6 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उनके नाम दर्ज होने के आधार पर आगे बैचान, हस्तान्तरण कर देंगे तथा वादीगण को जबरन बेदखल कर देंगे, जिसके कारण वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि ए व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में निहित उपरोक्त हिस्से से वंचित हो जायेगे तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है।

वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि ए सम्पूर्ण व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/6 वां हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का पुश्तैनी, सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा व अविभाजित होने से वादीगण का भी हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि ए मे से 1/3 हिस्सा व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/24 वां हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार निहित होने से तथा वादीगण निहित उपरोक्त हिस्से के सम्बंध में कानूनन खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी होने से, वादीगण के निहित हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से तथा वादीगण के निहित हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाने से इन्कार करने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 17.07.2024 को वादग्रस्त कृषि भूमि ए सम्पूर्ण व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/6 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उनके नाम दर्ज होने के आधार पर आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने तथा वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि ए व वादग्रस्त कृषि भूमि बी में निहित उपरोक्त हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ। जो सतत् जारी है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होने से उन्हें प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाया गया है। उनके विरूद्ध प्रस्तुत वाद में कोई अनुतोष नही चाहा है, इसलिए वाद प्रस्तुती के दो माह पूर्व उन्हे नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि बी में दर्ज अन्य सहखातेदार के विरूद्ध वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा, इसलिए वो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नही होने से उन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र तेजाराम व पुत्री सरोज को भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है। क्योकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में से निहित उनके हिस्से तक ही खातेदारी घोषित किये जाने हेतु वाद पेश किया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र तेजाराम व पुत्री सरोज प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नही होने से उन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्त में दावा पेश निवेदन है कि राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ए खसरा संख्या 4347 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4350 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा संख्या 756/3 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा संख्या 783/1 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा संख्या 852 रकबा 1.0113 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.1260 हैक्टेयर में से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण के निहित 1/3 हिस्से का वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण की

घोषित सहखातेदारी की भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि बी खसरा संख्या 5381 रकबा 1.5533 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5383 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5384 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5386 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5387 रकबा 1.4319 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.0207 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में सें हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण के निहित 1/4 हिस्से यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से वादीगण के निहित 1/24 वां हिस्से का वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण की घोषित सहखातेदारी की भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में से घोषित सहखातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे व न किसी अन्य से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित भूमि ख.नं. 4347 रकबा 0.1942 हैक्टयर, ख.नं. 4350 रकबा 0.6310 हैक्टयर, ख.नं. 750/3 रकबा 0.9951 हैक्टयर, ख.नं. 783/1 रकबा 1.2944 हैक्टयर, ख.नं. 852 रकबा 1.0113 हैक्टयर कुल खसरा 5 कुल रकबा 4.1260 हैक्टयर आई हुई है। उक्त सम्पूर्ण भूमि वर्तमान जमाबंदी चौसाला 2076 से 2079 के खाता सं. 465 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। राजस्व ग्राम भावी सीरवी बास, तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित ख.नं. 5381 रकबा 1.5533 हैक्टयर, ख.नं. 5384 रकबा 0.2993 हैक्टयर, खसरा नं. 5386 रकबा 0.6553 हैक्टयर, खसरा नंबर 5383 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नंबर 5387 रकबा 1.4319 हैक्टयर कुल खसरा नं. 5 कुल रकबा 4.0207 हैक्टयर आई हुई है। चालू जमाबंदी चौसाला अनुसार उपरोक्त खसरान के खाता 464 है। इस सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का वृक्ष वंशावली वाद पत्र के पद सं. 4 में वर्णितानुसार है। वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा नंबर 1594 रकबा 8-08 बीघा, खसरा नंबर 1067 रकबा 4-10 बीघा, ग्राम भावी सीरवी बास में पूर्व में जोगाराम पुत्र केनाराम के नाम दर्ज थी। वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा नंबर 1594, 1067 जोगाराम के वंशावली वृक्ष में वर्णितानुसार उनके पुत्रों के नाम हुई। तथा उनके पुत्रों द्वारा आपसी-सहमति से बंटवाडा कर लेने पर खसरा नंबर 1594, 1067 रामाराम के नाम दर्ज हुई। रामाराम के फौत होने पर जरिये विरासत नामा. सं. 790 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा नंबर 1594, 1067 प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा नंबर 1594, 1067 वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की पुश्तैनी व संयुक्त कब्जा सुद भूमि है। वादीगण स्व. जोगाराम के लडपौत्र व स्व. रामाराम के पडपौत्र व प्रतिवादी सं. 1 के पौत्र होने से राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(1) राज.-6/97/18 जयपुर दिनांक 8.1.2007 के अनुसार वादीगण का भी पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

ए व खसरा नंबर 1594, 1067 में हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण के दादा प्रतिवादी स. 1 दुर्गाराम के बराबर–बराबर हक अधिकार बनता है। जिनके अनुसार पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा नंबर 1594, 1067 में वादीगण का 1/4, प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हि., तेजाराम पुत्र दुर्गाराम 1/4 हिस्सा व सरोज पुत्री दुर्गाराम का 1/4 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपना निहित 1/4 हिस्सा से अधिक भूमि यानि खसरा नंबर 1594 रकबा 8–08 बीघा, खसरा नंबर 1067 रकबा 4–10 बीघा सम्पूर्ण बैचान कर दी है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 का पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि ए में उक्त बैचान के बाद कानूनन कोई हक अधिकार नहीं बनता है। पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि ए में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र तेजाराम व पुत्री सरोज का ही बराबर–बराबर हक व अधिकार बनता है। जिसके अनुसार पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि ए में वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 पुत्र तेजाराम का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री सरोज का 1/3 हिस्सा निहित है। व बनता है पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि ए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है जबकि वादीगण की सम्पूर्ण पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि ए में निहित 1/3 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार कानूनन अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि बी पूर्व में जोगाराम पुत्र केनाराम के नाम दर्ज थी जोगाराम व उनके पुत्र रामाराम फोत होने पर जरिये फौतेदगी नामा. सं. 962 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि बी जोगाराम के वंशावली वृक्ष में वर्णितानुसार उनके पुत्रों व रामाराम के वारिस पुत्र प्रतिवादी सं. 1 दुर्गाराम व पत्नी दाखुडी के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार जोगाराम व उनके पुत्र रामाराम व रामाराम की पत्नी दाखुडी के फौत होने पर प्रतिवादी स. 1 के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि बी मे 1/6 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। जो वर्तमान में भी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि बी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/6 वां हिस्से की भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की पुश्तैनी व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है। तथा वादीगण स्व. जोगाराम के लडपौत्र व स्व. रामाराम के पडपौत्र व प्रतिवादी सं. 1 के पौत्र होने से राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(1) राज.–6/97/18 जयपुर दिनांक 8.1. 2007 के अनुसार वादीगण का भी पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि बी में हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 दुर्गाराम के बराबर–बराबर हक व अधिकार है। जिसके अनुसार पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में से वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, तेजाराम पुत्र दुर्गाराम का 1/4 हिस्सा व सरोज पुत्री दुर्गाराम का 1/24 हिस्सा बनता है। पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि भूमि बी में से 1/6 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। जबकि पुश्तैनी सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि बी में निहित 1/24 वां हिस्से की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार कानूनन अधिकारी है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब के पद सं. 6 व 7 में वर्णित अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के निहित हक व हिस्से के संबंध में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र सुमन ओ पी पुत्री स्व. ओमप्रकाश पी.डब्ल्यू. 1 तथा सुमेर सीरवी ओ पी पुत्र स्व. ओमप्रकाश पी. डब्ल्यू. 2 का पेश किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2016 से 2030 ग्राम भावी सीरवीबास की मिसल बंदोबस्त की प्रमाणित प्रति , प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 465 ग्राम भावी सीरवीबास की ई प्रति, प्रदर्श 3 म्यूटेशन सं. 790 ग्राम भावी सीरवीबास की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 4 खाता सं. 464 ग्राम भावी सीरवीबास की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की ई प्रति, प्रदर्श 5 म्यूटेशन सं. 962 ग्राम भावी सीरवीबास की प्रति आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास के वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 4347 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4350 रकबा 0.63101 हैक्टेयर, खसरा संख्या 756/3 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा संख्या 783/1रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा संख्या 852 रकबा 1.0113 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.1260 हैक्टेयर तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 5381 रकबा 1.5533 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 5383 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 5384 रकबा 0.2993 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा संख्या 5386 रकबा 0.6553 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 5387 रकबा 1.4319 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.0207 हैक्टेयर पूर्व में भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार जोगा वल्द केना कौम सिरवी सा.देह खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। जोगाराम की फौत के बाद वंशावली वृक्ष में वर्णितानुसार उनके पुत्रों के नाम हुई। तथा उनके पुत्रों द्वारा आपसी–सहमति से बंटवाडा कर लेने पर खसरा नंबर 1594, 1067 रामाराम के नाम दर्ज हुई। रामाराम के फौत होने पर जरिये विरासत नामा. सं. 790 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए व खसरा नंबर 1594, 1067 प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 5381 रकबा 1.5533 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 5383 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 5384 रकबा 0.2993 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा संख्या 5386 रकबा 0.6553 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 5387 रकबा 1.4319 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.0207 हैक्टेयर जो जोगाराम पुत्र केनाराम के फौत के बाद दुर्गाराम पुत्र रामाराम, दाखुडी बेवा रामाराम, खेताराम,केसाराम,घीसाराम,दीपाराम,मिश्रीलाल पिसरान जोगाराम कोम सीरवी के नाम से जरिये नामा.सं. 962 के तहत राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हुआ, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 दुर्गाराम का 1/6 वां हिस्सा बनता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी ए व बी वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की पुश्तैनी व संयुक्त कब्जासुदा भूमि है। हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार पुश्तैनी कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के बराबर–बराबर हक अधिकार बनता है। किन्तु कृषि भूमि ए में से तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 दुर्गाराम द्वारा अपना निहित 1/4 हिस्सा से अधिक भूमि यानि खसरा नंबर 1594 व खसरा नंबर 1067 का सम्पूर्ण बैचान कर दी गई। इसलिए वादग्रस्त आराजी ए में उक्त बैचान के बाद कानूनन प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। अतः वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि ए में उपरोक्त बैचान के बाद प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक अधिकार नहीं होने से वादीगण के पिता का 1/3, प्रतिवादी स. 1 के पुत्र तेजाराम का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री सरोज का 1/3 हिस्सा बनता है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि बी में

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्से में से हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादीगण के पिता का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं 1 के पुत्र तेजाराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री सरोज का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा बनता है। अर्थात् सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि बी में वादीगण के पिता का 1/24 वां हिस्सा बनता है। वादपत्र के पैरा सं. 4 में वर्णित वंशावली के अनुसार वादीगण की माता संतोष जीवित होने से वादीगण के स्व. पिता की संपति में उसका भी हक व हिस्सा बनता है। वादीगण हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार पैतृक संपति के आधार पर अपनी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादीगण को पैतृक संपति के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने की भूमिधारी द्वारा सहमति प्रदान की गई है। वादीगण का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4347 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 4350 रकबा 0.63101 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 756/3 रकबा 0.9951 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 783/1रकबा 1.2944 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 852 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.1260 हैक्टेयर में वादी सं. 1/9 वां हिस्सा व वादी सं. 2 का 1/9 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5381 रकबा 1.5533 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 5383 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 5384 रकबा 0.2993 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा संख्या 5386 रकबा 0.6553 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 5387 रकबा 1.4319 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.0207 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 वां हिस्सा निहित है जिसमें वादीगण के स्व. पिता का 1/24 वां हिस्सा बनता है। जिसमें से वादी सं. 1 का 1/72 वां हिस्सा व वादी सं. 2 का 1/72 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16/06/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

**वादी :-** **बनाम** **प्रतिवादीगण :-**

सुमन ओ पी — दुर्गाराम वगैरा

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

राजस्व वाद संख्या :- 86/2024

**दिनांक :-** 16/06/25

## निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4347 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 4350 रकबा 0.63101 हैक्टेयर किस्म नहरी अवल, खसरा संख्या 756/3 रकबा 0.9951 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 783/1रकबा 1.2944 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 852 रकबा 1.0113 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.1260 हैक्टेयर में वादी सं. 1/9 वां हिस्सा व वादी सं. 2 का 1/9 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5381 रकबा 1.5533 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 5383 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 5384 रकबा 0.2993 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी, खसरा संख्या 5386 रकबा 0.6553 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, खसरा संख्या 5387 रकबा 1.4319 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम, कुल खसरा संख्या 5 कुल रकबा 4.0207 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 वां हिस्सा निहित है जिसमें वादीगण के स्व. पिता का 1/24 वां हिस्सा बनता है। जिसमें से वादी सं. 1 का 1/72 वां हिस्सा व वादी सं. 2 का 1/72 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

**तीज – मुबलिग – बाबत् –**

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा